

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,  
आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना,  
विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर एवं  
शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक-०३/०२/२०१७

विषय:- मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं०-22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0001 केन्द्रीय जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतनादि (वेतन जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते तथा यात्रा व्यय) मद की निकासी हेतु ₹1,30,64,000 (एक करोड़ तीस लाख चौंसठ हजार रुपये मात्र) का अतिरिक्त आवंटन।

विपत्र कोड-N-2056001010001

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि० दिनांक-31.03.2016, पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 तथा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना के पत्रांक-238 दिनांक-12.01.2017, अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर के पत्रांक-72 दिनांक-10.01.2017 एवं अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-342 दिनांक-18.01.2017 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वेतनादि (वेतन जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते तथा यात्रा व्यय) मद में निम्नवत अतिरिक्त राशि का आवंटन स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	कारा का नाम	कुट सं० एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना	01 01- वेतन	15990000	2297000	18287000	एक करोड़ बयासी लाख सतासी हजार रुपये मात्र
		01 03- जीवनयापन भत्ता	20950000	2540000	23490000	दो करोड़ चौतीस लाख नब्बे हजार रुपये मात्र
		01 04 मकान किराया भत्ता	1352000	1150000	2502000	पच्चीस लाख दो हजार रुपये मात्र।
		01 05 परिवहन भत्ता	354000	89000	443000	चार लाख तैंतालीस हजार रुपये मात्र
		01 06- चिकित्सा भत्ता	233000	42000	275000	दो लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र
		01 07- अन्य भत्ता	225000	23000	248000	दो लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र
2	विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर	01 01- वेतन	10393000	2700000	13093000	एक करोड़ तीस लाख तीरानबे हजार रुपये मात्र।
		01 03- जीवनयापन भत्ता	13615000	3375000	16990000	एक करोड़ उनहत्तर लाख नब्बे हजार रुपये मात्र।
		01 06- चिकित्सा भत्ता	151000	46000	197000	एक लाख सनतानबे हजार रुपये मात्र।
		01 07- अन्य भत्ता	146000	37000	183000	एक लाख तीरामी हजार रुपये मात्र।
		11 01 यात्रा व्यय	100000	30000	130000	एक लाख तीस हजार रुपये मात्र।
3	शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर	01 01 वेतन	15858000	670000	16528000	एक करोड़ पैसठ लाख अठाईस हजार रुपये मात्र।
		01 06 चिकित्सा भत्ता	253000	25000	278000	दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र।
		11 01 यात्रा व्यय	236000	40000	276000	दो लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र।
कुल			79856000	13064000	92920000	नौ करोड़ उनतीस लाख बीस हजार रुपये मात्र।

(एक करोड़ तीस लाख चौंसठ हजार रुपये मात्र)

अधीक्षक कारा  
५/२/१७

श्री जगज्योति अंसारी  
प्र. पदा

अधीक्षक कारा  
अधीक्षक कारा (कारा)

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0001 केन्द्रीय जेल के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-N2056001010001 एवं कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

5. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं0 405/वि0 दिनांक-25.05.06 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

6. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी नं0 के साथ अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्यक किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापक- कारा/बजट-(के0)-01-02/16-94

पटना, दिनांक-03/02/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापक- कारा/बजट-(के0)-01-02/16-94

पटना, दिनांक-03/02/2017

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापक- कारा/बजट-(के0)-01-02/16-94

पटना, दिनांक-03/02/2017

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।